



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16032023-244426
CG-DL-E-16032023-244426

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 155]
No. 155]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 16, 2023/फाल्गुन 25, 1944
NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 16, 2023/PHALGUNA 25, 1944

वस्त्र मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2023

सां.का.नि. 194 (अ).—राष्ट्रीय जूट बोर्ड अधिनियम, 2008 (2009 का 12) की धारा 22 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा, भारत सरकार के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 20 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. संख्या 241 (ई) के तहत प्रकाशित राष्ट्रीय जूट बोर्ड विनियम, 2012 की धारा 11 में निम्नलिखित संशोधन करती है:-

"बशर्ते कि ऐसे मामलों में जहां बोर्ड को अपने अधिकारियों को प्रतिनिधिमंडलों, बैठकों, सेमिनारों, प्रदर्शनियों, मेलों और विदेश में अन्य गतिविधियों में भाग लेने के लिए नामित करना होता है, सचिव, एनजेबी, सचिव (वस्त्र) और अध्यक्ष एनजेबी के पूर्व अनुमोदन से अधिकारियों को नामित करने के लिए सक्षम होंगे यदि;

(क) प्रतिनिधिमंडल, बैठक, संगोष्ठी, प्रदर्शनी, मेला या गतिविधि - जिसमें भाग लेने की मांग की गई है, को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया हो;

(ख) व्यय करने के लिए बजट प्रावधान मौजूद हो;

और

(ग) विदेश में होने वाली गतिविधियों की समेकित वार्षिक सूची जिनमें बोर्ड संवर्धन के लिए भाग लेना चाहता है और बोर्ड की ओर से नामित किए जाने वाले व्यक्तियों संख्या, बोर्ड द्वारा अनुमोदित की गई हो।

(फा.सं. जे-15/7/2022-जूट अनुभाग)

प्राजक्ता एल. वर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF TEXTILES

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th February, 2023

G.S.R. 194 (E).—In exercise of the powers conferred by section 22 of the National Jute Board Act, 2008 (12 of 2009), the Central Government hereby makes the following amendment in Section 11 of National Jute Board Regulations, 2012 published vide the Notification number G.S.R. No.241(E) dated the 20th March, 2012 of Ministry of Textiles, Government of India, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-Section (i), as under:-

“Provided that in cases where the Board has to depute its officers to participate in delegations, meetings, seminars, exhibitions, fairs and other activities abroad, it shall be competent for the Secretary, N J B with the prior approval of Secretary (Textiles) and Chairman N J B to depute the officers if;

- (a) *the delegation, meeting, seminar, exhibition, fair or the activity-in which participation is sought has been approved by the Board;*
- (b) *the budget provision exists for incurring expenditure thereto; and*
- (c) *the consolidated annual list of activities abroad which the Board would like to participate for promotion and also the number of persons to be deputed from the Board is approved by the Board.”*

[F. No. J-15/7/2022-Jute Section]

PRAJAKTA L. VERMA, Jt. Secy.